

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रेजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट
तहसील हुज़ूर, भोपाल

क्रमांक-177/अधिअ/री-1/2000

भोपाल, दिनांक 24.10.2000

// प्रमाण-पत्र //

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-
15/बी-113/91-92-में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 1992 द्वारा "वसुधा
प्रकाशन न्यास" का पंजीयन किया गया था। तदुपरान्त न्यास की ओर से
श्रीमती सुधा मलैया, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 7.9.2000 प्रस्तुत होने पर न्यास के
नाम परिवर्तित कर "ओजस्विनी समदर्शी न्यास" पता-115/38 शिवाजी नगर,
भोपाल प्रकरण क्रमांक-35/बी-113/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2000
द्वारा किया गया है। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष है तथा वर्तमान में ट्रस्ट
के निम्नलिखित ट्रस्टी हैं :-

- §1§ डॉ० सुधा मलैया पतिन श्री जयन्त मलैया, निवासी-115/38, शिवाजी नगर, भो
- §2§ डॉ० सीमा विजयवर्गीय पतिन श्री विनय विजयवर्गीय, नि-12 वी विल्डर्स कां
पेक्ष मार्केट के पीछे, इन्दौर 462001
- §3§ श्रीमती ककुम गुप्ता पतिन ओमप्रकाश गुप्ता, नि- 2/9, रणयम्बौर कांम्पलेक्स,
जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल 462001
- §4§ श्रीमती कविता मलैया, पतिन श्री प्रदीप मलैया नि- आग्रवाली कटरा बाजार
सागर 462001
- §5§ श्रीमती अनिता जैन पतिन राजीव जैन एड-31 अकूर कांम्पलेक्स शिवाजी नगर,
भोपाल.
- §6§ श्रीमती अर्चना दीप पतिन दीप जैन, नि-सी-274 शाहपुरा भोपाल 462001
- §7§ श्रीमती रिंदा सिंघ सिंघ पतिन आलोक सिंघ निवासी- सी-98, शाहपुरा, भोपाल
462001



[Handwritten Signature]
रेजिस्ट्रार
पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल.

सत्यप्रति लिपि आदेश दिनांक 7 अक्टूबर/1992

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला भीपाल मो प्र०

प्रकरण क्रमांक 15/बी-113/91-92

वसुधा प्रकाशन न्यास, 18 एच०आई०जी०शिवाजीनगर भीपाल

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भीपाल

प्रकरण क्रमांक 15/बी-113/91-92

वसुधा प्रकाशन न्यास,
18, एच०आई०जी०शिवाजीनगर
भीपाल १ मोप्र० १

आवेदक,

वि रू द

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

-:: आदेश ::-

-:: आज दिनांक 7 अक्टूबर, 1992 को पारित ::-

कु० प्रीति शर्मा आत्मजा श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासो बी-18 स्वामी दयानन्द नगर, भीपाल ने मोप्र० पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वसुधा प्रकाशन न्यास, भीपाल को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु निवेदन किया है।

॥2॥ प्रार्थी के आवेदन पत्र पर कोई आपत्तियां आती करने बाबत विधिवत इतहार जारी किया गया, किन्तु धीरूपापत्र के प्रकाशनोपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बावजूद आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

॥3॥ ट्रस्ट के उद्देश्य :- इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1- धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक वैज्ञानिक आदि लोक हिस्सा, विषयों पर विशेषतः महिलाओं के लिये युगानुकूल सत साहित्य का निर्माण करना अथवा करवाना तथा इसका प्रकाशन एवं प्रसारण कर लोक शिक्षण का कार्य करना।

2- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे सभी कार्य करना जो आवश्यक तथा अनुशासिक हों। उद्देश्य को व्यापकता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए निम्नलिखित कार्य करना :-

अ- साहित्य निर्माण हेतु लेखकों एवं साहित्यकारों से आवश्यक अनुबंध करना अथवा लेखकों को अनुदान, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि अथवा रायली देना।

ब- साहित्य प्रकाशन के लिये अन्य मुद्रणालयों से मुद्रण कराना अथवा मुद्रणालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे साहित्य की प्रवर्धन उपाय व्यवस्था हो सके।

इ- न्यास के कार्यों के लिये भूमि अथवा भवन प्राप्त करना, किराये से लेना अथवा निर्माण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्तरिम व्यवस्था करना

2/-



॥ 2 ॥

- ६- साहित्य प्रसार के लिये अभिकर्ता अथवा प्रचारक/प्रतिनिधि नियुक्त करना।
- उ- न्यास के कार्यों के लिये यथा आवश्यक कर्मचारों एवं अधिकारों नियुक्त करना उन्हें पारिश्रमिक देना तथा उनके सेवा नियम बनाना एवं लागू करना।
- उ- समाज सेवी समर्पित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की सहायता, सहयोग प्रदान अथवा उन्हें आर्थिक अंशदान देना।

॥ 4 ॥ न्यास की सम्पत्ति :-

॥ अ ॥ कुल सम्पत्ति :-

न्यास के पास वर्तमान में कुल सम्पत्ति के रूप में रुपये 5,000/-

॥ पांच हजार रुपये ॥ मात्र है जो वर्तमान में इलाहाबाद बैंक शाखा चार इमली, भोपाल में न्यास के नाम माता कुमारी 10049 खाता पन्ना 241/50 में जमा हैं।

॥ ब ॥ अवकल सम्पत्ति :- इस न्यास के पास वर्तमान में कोई अवकल सम्पत्ति नहीं है।

॥ 5 ॥ आय के साधन :-

इस न्यास के आय के साधन न्यास की दान, चन्दा एवं बैंक में जमा राशि के विनियोजन से होने वाली व्याज की वार्षिक आय, प्रकाशन के विषय, विज्ञान से प्राप्त धन तथा प्राप्त धन आदि हैं।

॥ 6 ॥ ट्रस्टीगणों के नाम व पते :-

न्यासीयों की कुल संख्या अधिकतम 15 होगी। वर्तमान में इस न्यास में निम्न लिखित 7 सदस्य कार्यरत हैं :-

- 1- कुमुदिती शर्मा आत्मजा श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी बट्टे-18, स्वामी दयानन्द नगर, भोपाल ----- कुलध न्यासी
- 2- डा० सुधा मल्लिका पति श्री जयन्त मल्लिका, निवासी एक्स ई-3 ए, चार इमली, भोपाल ----- न्यासी
- 3- श्रीमती कोकिला सेठ पत्नी श्री विश्वान्त सेठ, 57 शांति नगर, बरसिया रोड, भोपाल ----- न्यासी
- 4- श्रीमती गेलजा काकिडे पति श्री दीक्षु काकिडे, निवासी बावन पद्मना लक्ष्मी, ग्वालियर ----- न्यासी
- 5- श्रीमती अर्चन चिट्नीस पति श्री समीर बी चिट्नीस, निवासी 11 साकेत नगर, "सुराज" इन्दौर ----- न्यासी
- 6- डा० श्रीमती सीमा विजयवर्गीस पति श्री विनय विजयवर्गीस निवासी 12 बी बिल्डर्स कालोनी इन्दौर ----- न्यासी
- 7- श्री श्रुति पाठक पति श्री दशरथ पाठक, निवासी 132, अशोक सोसायटी, शाहपुरा भोपाल ----- न्यासी

॥ 7 ॥ आवेदक ट्रस्ट की ओर से कु 0 प्रीति शर्मा, प्रबन्ध न्यासी एवं आ 0 श्रीमती सुधा मलेया, न्यासी के कथन लिये गये तथा उनके द्वारा लीया साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिनकी फोटों प्रतिमा प्रकरण में संलग्न की गई ।

॥ 8 ॥ उक्त ट्रस्ट मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः मैं एल 0 एन 0 शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भीपाल मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 4 के अन्तर्गत वसुधा प्रकाशन न्यास, 18 एम 0 आ 0 जी 0 शिवाजी नगर, भीपाल को संधारित पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार में दर्ज किये जाने का आदेश देता हूँ ।

॥ 9 ॥ न्यास के पदाधिकारी न्यास की धौषणा के अनुस्य कार्य करेंगे तथा ट्रस्ट की आय व्यय का ब्यौरा एवं आडिट रिपोर्ट प्रति वर्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे ।

॥ 10 ॥ न्यास का मुख्यालय 18 एम 0 आ 0 जी 0 शिवाजी नगर, भीपाल में है जो न्यास मंडल के निर्णय के अनुसार बदला जा सकेगा ।

॥ 11 ॥ न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश रहेगा ।

हस्ता/-

॥ एल 0 एन 0 शर्मा ॥

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजि 0 पब्लिक ट्रस्ट, भीपाल

सत्य प्रतीति

15/10/92
विभागीय कै. पालय भीपाल प्र. प्र.

- 1 प्राजना पत्र 13/10/92
- 2 आवेदक का दस्तावेज 16/10/92
- 3 दिनांक जिला 15/10/92
- 4 अतिरिक्त पत्र
- 5 माली की रिपोर्ट
- 6 इन्फार्मेशन ऑफिस
- 7 मालिकाना पत्र
- 8 आवेदक का दस्तावेज
- 9 का दस्तावेज
- 10 नालिका का दस्तावेज
- 11 प्रतिनिधि का दस्तावेज 15/10/92
- 12 प्रतिनिधि का दस्तावेज 15/10/92
- 13 आवेदक का दस्तावेज
- 14 कोर्ट का दस्तावेज

सत्य प्रतीति

सत्य प्रतीति

15/10/92

§ 7§ श्रीमती धृति पाठक पत्नि श्रीवंश पाठक, आयु 24 वर्ष व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी 132 अशोका सोसायटी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

जो उपरोक्त न्यास के न्यासी हैं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 §xxx आफ 1951§ की धारा 4.2 के अंतर्गत उपरोक्त न्यास के पंजीयन हेतु यह आवेदन करते हैं ।

2. हम न्यास के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं :-

§ 1§ अ§ जन साधारण के लाभ के लिये सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि लोक हितकारी विषयों पर सत्साहित्य का निर्माण प्रकाशन तथा प्रसार करने के लोकशिक्षा के पवित्र प्रयोजन के लिये दिनांक 24.4.92 को की गई घोषणा के अनुसार वसुधा प्रकाशन न्यास, भोपाल की स्थापना की जा चुकी है । तदनुसार दिनांक 15.6.92 को न्यास पत्र पर न्यासियों द्वारा हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ।

§ आ§ वसुधा प्रकाशन न्यास भोपाल सार्वजनिक न्यास है ।

§ इ§ न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

§ 4.1§ इस न्यास का उद्देश्य धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक आदि लोक हितकारी विषयों पर विशेषतः महिलाओं के लिये युगानुकूल सत्साहित्य का निर्माण करना अथवा करवाना तथा इसका प्रकाशन एवं प्रसारण कर लोक शिक्षण का कार्य करना ।

§ 4.2§ उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऐसे सभी कार्य करना जो आवश्यक हो तथा अनुशंगिक हो । उद्देश्य की व्यापकता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए निम्नलिखित कार्य करना उदाहरणार्थ :-

अ. साहित्य निर्माण हेतु लेखकों एवं साहित्यकारों से आवश्यक अनुबंध करना अथवा लेखकों को अनुदान, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि अथवा रायट्टी देना ।

आ. साहित्य प्रकाशन के लिये अन्य मुद्रणालयों से मुद्रण करवाना अथवा मुद्रणालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे साहित्य की छपाई व्यवस्था हो सके ।

इ. न्यास के कार्यों के लिये भूमि अथवा भवन प्राप्त करना किराये से लेना अथवा निर्माण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्तरिम व्यवस्था करना ।

Handwritten signatures and notes:
अ. साहित्य निर्माण हेतु लेखकों एवं साहित्यकारों से आवश्यक अनुबंध करना
आ. साहित्य प्रकाशन के लिये अन्य मुद्रणालयों से मुद्रण करवाना अथवा मुद्रणालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे साहित्य की छपाई व्यवस्था हो सके ।
इ. न्यास के कार्यों के लिये भूमि अथवा भवन प्राप्त करना किराये से लेना अथवा निर्माण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्तरिम व्यवस्था करना ।
श्री. धृति पाठक

- ई. साहित्य प्रसार के लिये अभिकर्ता अथवा प्रचारक/प्रतिनिधि नियुक्त करना ।
- उ. न्यास के कार्यों के लिए यथा आवश्यक कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त करना उन्हें पारिश्रमिक देना तथा उनके सेवा नियम बनाना एवं लागू करना ।
- ऊ. समाज सेवी समर्पित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सहायता, सहयोग प्रदान अथवा उन्हें आर्थिक अंशदान देना ।
- ए. न्यास के उपर्युक्त कार्यों के लिये ऋण प्राप्त करना, नगद अथवा वस्तु या सम्पत्ति के रूप में दान प्राप्त करना, छपाई या अन्य माध्यम से धन प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार न्यास की सम्पत्ति को बंधक रखना या अन्य ऋण प्राप्ति के लिये प्रतिभूमि देना ।
- ऐ. वे सब कार्य करना जो न्यास की उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक अथवा उचित समझे जायें ।

§ 2 § न्यास का प्रधान कार्यालय 18 एम.आय.जी. शिवाजी नगर, भोपाल में है जो न्यास मंडल के निर्णय के अनुसार बदला जा सकेगा ।

§ 3 § कु. प्रीति शर्मा, निवासी बी-18 स्वामी दयानन्द नगर, भोपाल इस न्यास की प्रबंधक न्यासी है ।

§ 4 § न्यासियों की कुल संख्या अधिकतम 15 होगी । दो न्यासी प्रति तीन वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे, यह पद निवृत्ति क्रम से होगी अर्थात् न्यासी क्रमांक 1 व 2 तीन वर्ष पश्चात् तथा क्रमांक 3 व 4 छः वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे । इसी प्रकार निवृत्ति क्रम जारी रहेगा । निवृत्त न्यासी पुनः न्यासी पद पर चुने जाने के पात्र होंगे । न्यासी/न्यासियों के निवृत्त होने पर शेष न्यासी रिक्त पद/पदों की पूर्ति बहुमत से करेंगे । किन्तु समान मत होने पर परी निकालकर निर्णय किया जा सकेगा । निवृत्ति के कारण रिक्त न्यासी पद की पूर्ति यदि निवृत्त के कारण रिक्त न्यासी पद की पूर्ति यदि निवृत्ति दिनांक से छः मास के अन्दर नहीं की जाती तो ऐसा माना जावेगा कि निवृत्त हो रहे न्यासी/न्यासियों को पुनः चुन लिया गया है ।

न्यासियों को अधिकार होगा कि वे रिक्त न्यासी पदों की पूर्ति एक साथ करें अथवा स्वविवेक के अनुसार भिन्न-भिन्न समय पर करें । किन्तु नियुक्त होने वाले न्यासीगणों की निवृत्ति का भी नियुक्ति के क्रम के अनुसार होगा । प्रबंध न्यासी/न्यासियों के बहुमत से चुना जायेगा । प्रबंध न्यासी का कार्यकाल 3

वर्ष होगा ।

- § 5§ न्यास पत्र दिनांक
- § 6§ स्कीम यथा समय प्रस्तुत की जायेगी ।
- § 7§ न्यास की चल सम्पत्ति रु. 5000/- है ।
- § 8§ न्यास की अचल सम्पत्ति वर्तमान में निरंक
- § 9§ दान, प्रकाशन के विक्रय एवं विज्ञान से प्राप्त धन, अथवा सण प्राप्त कर न्यास कार्य करेगा ।
- § 10§ न्यास का अनुमानित वार्षिक आय-व्यय का विवरण :-

अनुमानित आय	अनुमानित व्यय
दान, प्रकाशन के विक्रय विज्ञापन आदि से प्राप्त रु. 2,10,000.00	न्यासियों वास्तविक यात्रा भत्ता तथा बैठकों पर व्यय 5000.00 कर्मचारी वेतन 55000.00 कार्यालयीन स्थापना व्यय 25000.00 प्रकाशन व्यय प्रसार 1,15000.00 विज्ञापन व्यय 10000.00
योग रु. 2,10,000/-	2,10,000.00

§ 11§ अन्य देन-दारियां यदि हो तो -निरंक

§ 12§ ट्रस्ट सम्पत्ति से संबंधित राइट्स -निरंक
होल्ड का विवरण

§ 13§ वर्ष 1992-93 के लिये अनुमानित बजट - उपरोक्त क. § 10§ के अनुसार

अन्य जानकारी - निरंक

पंजीयन शुल्क रु. संलग्न चालान रु. दिनांक
के अनुसार जमा कर दिया है ।

प्रबंधक न्यासी से पत्र व्यवहार का पता

कु. प्रीति शर्मा
18 बी-स्वामी दयानंद नगर,
भोपाल म.प्र.

19-10-2000

35/01/113/99-2000
25/10/2000

30-9-2000

30-9-2000

प्रकरण पेश ।

- आवेदक ट्रस्ट की ओर से मुका जमा का आ।
- उम्मेदवार को देखकर भीगे गये ।

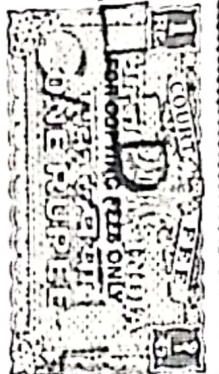
प्रकरण आदेशकार ।

11-10-2000

11-10-2000

प्रकरण पेश ।

- प्रकरण आदेश हेतु निर्गत है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।
- आवेदक ट्रस्ट की ओर से श्रीमती सधा मलैया द्वारा न्यास के न्यास पत्र में संशोधन जिसमें न्यास पत्र के उद्देश्यों, न्यास के नाम में परिवर्तन कर वसुधा प्रकाशन न्यास के स्थान पर ओजस्विनी समर्पित न्यास किये जाने तथा न्यास के नवीन गठन के अनुसार न्यास के पदाधि-कारियों के नाम रिकार्ड में अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया है ।
- आवेदन प्राप्त होने पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु इस्तहार का प्रकाशन कर ट्रस्ट कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के बोर्ड पर चस्था कराया गया । निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉ० सधा मलैया के कथन लिपिबद्ध किये गये ।
- आवेदिका के कथन, आवेदन पत्र के संलग्न ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15 अप्रैल 2000 के मिनिट्स से आवेदन पत्र की प्रकृति होती है । इस्तहार जारी करने के परिणामस्वरूप कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है । अतः आवेदन पत्र के अनुसार न्यास के उद्देश्यों,



ED

LED

राजस्व आदेश समुच्चय-पत्र



दाखल करीज

3/1/2019

में निम्नलिखित तीन दिवस जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

{1} लोकसेवा के पत्रि उद्देश्य से जनजीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु योजना बनाना तथा उनका क्रियान्वयन जन सहभागिता से करने का प्रयास करना ऐसे समस्त कार्य करना, जो जनसाधारण जीवन स्तर का उन्नयन करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो ।

{2} अन्य समाजसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा शासन द्वारा जनकल्याण के विभिन्न योजनाओं में सहयोग देना अथवा उनसे सहयोग प्राप्त करने का कार्य करना ।

{3} सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, पर्यावरण, उद्यम, स्वास्थ्य राबट्राहत संबंधी किसी भी क्षेत्र में समाज कल्याण विशेष रूप से स्त्रियों के कल्याण व जागरूकता हेतु कोई भी गतिविधि, कार्यक्रम प्रकाशन उद्यम करना । कार्यक्रम सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा ।

- न्यास का वर्तमान में "वसुधा प्रकाशन न्यास" नाम है जिसे परिवर्तित कर "ओजस्विनी" ^{समस्या} किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्तानुसार न्यासागदण की न्यास पंजी में संशोधित प्रविष्टि अंकित की जाये साथ ही न्यास की नवीन गठन के अनुसार न्यासियों के नाम न्यास की पंजी में अंकित दिये जाये ।

उपरोक्तानुसार संशोधन उपरान्त प्रकरण समाप्त होकर अभिलेखागार में जमा हों ।

रेजिस्ट्रार

पत्रिक द्रष्ट, भोपाव

सत्य प्रविष्टि

3/1/2019

राजस्थान सरकार